

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रतापनगर, जयपुर-302033

क्रमांक:-प्रति-1/होम्यो. चिकि./वा.वे.वृ./2017-18/

दिनांक:-

-:: कार्यालय आदेश ::-

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 29 व वित्त विभाग, जयपुर राजस्थान सरकार के आदेश/ अधिसूचना क्रमांक संख्या एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतनमान), 2017 के नियम 13 के अन्तर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग के अधीन कार्यरत/पदस्थापित डॉ. गरिमा शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित पे-मैट्रिक्स के लेवल अनुसार दिनांक 01.07.2018, 01.07.2019 एवं 01.07.2020 से देय वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान	मैट्रिक्स लेवल	वर्तमान वेतन	वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक	वार्षिक वेतन वृद्धि पश्चात् वेतन
1.	डॉ. गरिमा शर्मा	राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, पुष्कर जिला अजमेर	L-14, 56100-177500	59500	01.07.2018	61300
					01.07.2019	63100
					01.07.2020	65000

(डॉ. रेणु बंसल)

निदेशक

क्रमांक:-प्रति-1/होम्यो. चिकि./वा.वे.वृ./2017-18/4719-23

दिनांक:- 21/06/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कार्यालय की लेखा शाखा को दो प्रतियों में।
3. विभागीय नोडल अधिकारी विभागीय वैबसाइट को दी जाकर लेख है कि विभागीय वैबसाइट पर शीघ्र ही अपलोड करावे।
4. सम्बन्धित डॉ. गरिमा शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, पुष्कर जिला अजमेर।
5. रक्षित पत्रावली।


निदेशक